उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 712–पारे0अनु0–04बी/पाट्राकालि–2024/20/2009 टी0सी0–III   दिनांकः07दिसम्बर , 2024

समस्त निदेशक,

समस्त मुख्य अभियन्ता,

(पारेषण/जानपद),

उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0,

लखनऊ/आगरा/मेरठ/झाँसी/गोरखपुर/प्रयागराज।

विषय– ''उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966'' के अन्तर्गत 06 माह के लिये हड़ताल निषिद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उ0प्र0 शासन से प्राप्त अधिसूचना आदेश संख्या–3–ई0एम0/2012/का–4–2024, दिनांकः 06 दिसम्बर, 2024 (ससंलग्नक छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ''उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966'' के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा में उक्त आदेश् के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 माह की अवधि के लिये हड़ताल निषिद्ध की गई है।

अतः उपरोक्त संदर्भित आदेश की संलग्नकों सहित छायाप्रति संलग्नकर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(राम सूरत)

उप सचिव (पारेषण–प्रथम)

संख्याः 712(1)–पारे0अनु0–04बी/पाट्राकालि–2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेश्न लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब–साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।

07.12.24

(राम सूरत)

उप सचिव (पारेषण–प्रथम)

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या- 3-ई0एम0/2012/का-4-2024
लखनऊ: दिनांक: 06 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए हड़ताल, निम्नलिखित में प्रतिषिद्ध करती हैं:-

(1) उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा; और

(2) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा।

2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि यह अधिसूचना गजट में और राज्य में प्रसार वाले कम से कम दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

आज्ञा से,
Signed by
M Devaraj
Date: 06-12-2024 12:38:52
(एम. देवराज)
प्रमुख सचिव।

(मुकुल सिंघल)
निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

07/12/2024

Uttar Pradesh Shasan
Karmik Anubhag-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 3-E.M/2012-Ka-4-2024, dated 06 December, 2024.

NOTIFICATION
No. 3-E.M/2012-Ka-4-2024,
Lucknow: dated: 06 December ,2024

WHEREAS the State Government is satisfied that it necessary and expedient in the public interest so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub section (1) of section-3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P. Act No. 30 of 1966), the Governor is pleased to prohibit, for a period of six months from the date of publication of this notification in the Gazette, strikes in :-

(1) any public service in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh; and

(2) any service under a corporation owned or controlled by the State Government and any service under a local authority.

2. Under sub-section (2) of section-3 of the aforesaid Act, the Governor is further pleased to direct that this notification shall be published in the Gazette and in at least two daily newspapers of Hindi and English having circulation in the State.

by order,

Signed by
M Devaraj
(M. Devaraj)
Principal Secretary
Date: 06-12-2024 12:38:19